No.

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

श्री ओम बिरला
माननीय अध्यक्ष, लोक सभा
भारत

आवेदन पुस्तिका

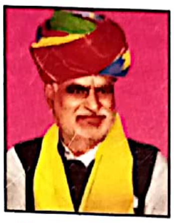

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

चन्द्रमौली

आवासीय योजना

चन्द्रेसल कोटा

कुल भूखण्ड सं. - 222

आवेदन पत्र

विक्रय प्रारम्भ की दिनांक	25 अक्टूबर 2024 (शुक्रवार)
जमा करने की अंतिम दिनांक	26 नवम्बर 2024 (मंगलवार)
RERA REG. NO.	RAJ/P/2024/3320

500/-

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र के साथ

1. योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र (पुस्तिका) बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS **सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**, के नाम से आवेदन पुस्तिका में अंकित बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में जमा किये जा सकते है।

2. **आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज :-**
   1. आधार कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति) एवं पेन कार्ड की (स्वप्रमाणित प्रति)
   2. आवेदक अपने खाते का कैन्सिल चैक CTS 2010 अथवा पास बुक की प्रति संलग्न करें

CHNDRAMOLI AAWASIYA YOJNA

Bank Name: **Bank of Baroda** बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

SECRETARY KDA KOTA COLLECTION
A/C No. 53560200000575
IFSC CODE - BARB0SHRINA
(Fifth Character is Zero)

बैंक ऑफ बड़ौदा की कोटा शहर में स्थित शाखाएं, जहां से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है :-

- Keshavpura Circle Kota.
- Rampura Market, P.B. No. 37 Kota.
- Jhalawar Road Kota.
- Bundi Road, Kunhari Kota.
- Mahaveer Nagar MPB 50, Kota
- Shrinathpuram, Kota.
- Station Road, Kota.
- Sheela Choudhary Road, Talwandi Kota.
- S.R.D. Modi Vidya Ninketan Socy. Modi Coll. Dadabari Kota.
- Shri Ram Nagar, Borkheda Kota
- Digital Branch, Ghatotkach Circle, In front of LIC Bulding Rangbari Kota.
- New Grain Mandi, DCM Main Road Kota.
- Plot No. 9 Dhakar Kheri Kota.

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

हर परिवार का सपना,
सुन्दर सहज घर हो अपना

शहर वासियों के सपनों में रंग भरने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण सदैव प्रयासरत रहा है।

इसी क्रम में कोटा विकास प्राधिकरण लाया है अपनी चन्द्रमौली आवासीय योजना, चन्द्रेसल कोटा। इस योजना में 222 भूखण्डों का एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का विस्तृत विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित है। आम जनता से अनुरोध है कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना का लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण,	आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण,	अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण,

Scanned with CamScanner

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

चन्द्रमौली आवासीय योजना
चन्द्रेसल कोटा

योजना स्थल एवं विशेषताएं :-

1. सोगरिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
2. राष्ट्रीय राजमार्ग कोटा-बारां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
3. प्राचीन धार्मिक स्थल चन्द्रेसल मठ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
4. योजना में सीवरेज लाईन / पार्क / पेयजल सुविधा आदि का प्रावधान
5. निर्मित सड़के

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

चन्द्रमौली आवासीय योजना
चन्द्रेसल कोटा

क्र.सं.	श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की माप (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि	पात्रता हेतु आय वर्ग
1.	EWS	47	4.5 X 9	40.5	435.78	220069/-	22000/-	Up to 3 लाख
2.	LIG	108	6 X 12	72	774.72	625974/-	62000/-	3 से 6 लाख
3.	MIG-A	13	7.5 X 15	112.5	1210.50	1222605/-	122000/-	6 से 12 लाख
4.	MIG-B	4	9 X 18	162	1743.12	1849450/-	185000/-	12 से 18 लाख
5.	HIG-III	33	12 X 21	252	2711.52	3012499/-	301000/-	18 लाख से अधिक
6.	HIG-II	6	12 X 24	288	3098.88	3442856/-	344000/-	18 लाख से अधिक
7.	HIG-I	11	15 X 27	405	4357.80	4841516/-	484000/-	18 लाख से अधिक
कुल भूखण्ड		222	कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी					

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रू. प्रक्रिया शुल्क राशि जमा होगी, जो अदेय (Non Refundable) है।

Scanned with CamScanner

योजना का विवरण :-

चन्द्रमोली आवासीय योजना में 222 आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये गये है। भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

आवेदन की पात्रता -

1. राजस्थान के मूल निवासी हो।
2. आवेदक की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
3. आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए।
4. आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code होना अनिवार्य है।
5. आवेदक का स्वयं /पत्नि/पति अथवा किसी आश्रित के नाम राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
6. कोटा विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ है।
7. निर्धारित श्रेणी में आवेदन करने हेतु उसी आय वर्ग में होना आवश्यक है।

आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज :-

1. पहचान हेतु फोटोयुक्त स्वप्रमाणित वोटर आई.डी/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट फोटो/जन आधार कार्ड आदि में से कोई भी दस्तावेज मान्य होंगे।
2. शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)

3. संलग्न प्रारूप अनुसार वार्षिक आय प्रमाण पत्र (समस्त आवेदको के लिए लागू) स्वयं, पति/पत्नि की आय को सम्मिलित करते हुए।
4. आवेदन फार्म में आवेदक का आधार कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण संख्या अंकित करनी होगी तथा कार्ड प्राप्त होने पर उसकी संख्या कार्यालय में अपडेट करानी होगी।
5. आरक्षित वर्ग के भूखण्डों के संबंध में **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा** जारी श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

1. आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- रूपए का प्रक्रिया शुल्क (Non Refundable) सहित राशि, सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण , कोटा के नाम देय का डिमाण्ड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS (यू.टी.आर. नम्बर Slip) संलग्न करते हुए आवेदन पुस्तिका में अंकित बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटा की किसी भी शाखा में जमा किये जा सकते है।
2. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूर्ण आवेदन-पत्र (आवेदन पुस्तिका में योजना के लिए) निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 26.11.2024 तक बैंकिंग समय के समापन से पूर्व जमा किये जा सकेगें।
3. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रो को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
4. किसी भी योजना में आवेदन के पूर्व भली-भांति विचार कर लेवे। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्ड्रा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

विशेष अनुदेश :-

1. आवदेक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही PAN CARD की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
3. आवेदक अपना मोबाईल नं0, ई-मेंल आईडी (यदि कोई हो) अवश्य दे।
4. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
5. पत्राचार के लिए पत्र व्यवहार के पता मय पिन कोड उल्लेख करें।
6. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रक्रिया शुल्क) का डिमाण्ड ड्राफ्ट <u>सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा</u> के पक्ष में देय होना चाहिए।

   अथवा

   पंजीकरण राशि मय प्रक्रिया शुल्क RTGS के माध्यम से (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) जमा करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (UTR No. का उल्लेख करते हुए) आवेदन पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के पीछे उल्लेखित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराया जा सकेगा।

सामान्य शर्ते :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से रू. 500/- भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है एवं भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित बैंक में जमा किये जा सकेंगे।
2. आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर योजनाओं में आवेदन किया जा सकेगा। लॉटरी में वरीयता के आधार पर भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताएँ स्वत: ही समाप्त हो जाएगी एवं शेष वरीयताओं की जमा पंजीकरण राशि आवेदक को लौटाई जाएगी।
3. योजना में एक से अधिक भूखण्ड के लिए आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क 2000/- एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ आवेदन पत्र निर्धारित बैंक में जमा करानी होगी। कुल पंजीयन राशि प्रत्येक विकल्प के अनुसार एक मुश्त जमा करानी होगी। लॉटरी में एक से अधिक भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चतम वरीयता वाले भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा।
4. योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखण्डों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर आवंटी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा/होगी।
5. पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (RTGS) के माध्यम से निर्धारित बैंक /खाते में हस्तान्तरित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में चालान फॉर्म में UTR No. Slip का उल्लेख कर Slip संलग्न करें।
6. राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के भूखण्ड आवंटन पर भी लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

7. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2021 के अनुसरण में सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाए तो प्राधिकरण द्वारा समतुल्य वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा। समतुल्य वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा मूल राशि लौटा दी जाएगी।

8. आवेदनकर्ता को आवेदन फॉर्म में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।

9. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो या बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एव खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर KDA की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नही है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।

11. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।

13. लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय ग्रुप/वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। लॉटरी उपरान्त अन्य प्रकार के संशोधन हेतु लिखित आवेदन करने पर केडीए कार्यालय द्वारा संशोधन की कार्यवाहीं की जाएगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि लौटाई जाएगी।

14. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन -मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में चैक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के नाम से कोटा शहर स्थित बैंक ऑफ वड़ौदा में (आवेदन पुस्तिका में दी गई किसी भी बैंक शाखा में) संबंधित योजना के खाते में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।

15. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड नियमानुसार आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।

16. आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तानान्तरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तानान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार विक्रय स्वीकृति की अनुमति दी जाएगी।

17. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. आवंटन में राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।

19. "आवंटित भूखण्ड केवल "आवासीय" उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित "भवन विनियम" के प्रावधानानुसार मान्य होगा।

20. आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से, प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

21. राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, निर्धारित आवंटन की शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

Scanned with CamScanner

7. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2021 के अनुसरण में सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाए तो प्राधिकरण द्वारा समतुल्य वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा। समतुल्य वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा मूल राशि लौटा दी जाएगी।

8. आवेदनकर्ता को आवेदन फॉर्म में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।

9. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो या बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एव खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर KDA की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नही है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।

11. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।

13. लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय ग्रुप/वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। लॉटरी उपरान्त अन्य प्रकार के संशोधन हेतु लिखित आवेदन करने पर केडीए कार्यालय द्वारा संशोधन की कार्यवाहीं की जाएगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि लौटाई जाएगी।

14. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन -मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में चैक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के नाम से कोटा शहर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में (आवेदन पुस्तिका में दी गई किसी भी बैंक शाखा में) संबंधित योजना के खाते में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।

15. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड नियमानुसार आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।

16. आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तानान्तरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तानान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार विक्रय स्वीकृति की अनुमति दी जाएगी।

17. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. आवंटन में राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।

19. ''आवंटित भूखण्ड केवल''आवासीय'' उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित ''भवन विनियम'' के प्रावधानानुसार मान्य होगा।

20. आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से, प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

21. राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, निर्धारित आवंटन की शर्तें आवेदक को मान्य होगी।

Scanned with CamScanner

22. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

23. किसी भी प्रकार के कूननी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार कोटा ही होगा।

आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग :

1. आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति,पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक/परिवार की सभी स्त्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।

2. ऐसे आवेदक, जो आयकर विवरणिका भरते है, उन्हें आई.टी.आर./फार्म 16 की प्रतिलिपि तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

1. आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :-

केन्द्र सरकार के कर्मचारी/ राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी			अनु. जनजाति			अनु. जाति			अधीस्वीकृत पत्रकार			सैनिक/अर्द्धसैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			ट्रांसजेंडर व्यक्ति	अनारक्षित श्रेणी
10%			6.43%			8.57%			2%			10%			2%	61%
5% विकलांग	10% निराश्रित एव भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिला	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एव भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिला	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एव भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिला	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एव भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिला	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एव भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिला	सामान्य		

राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी पात्र होंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 17(22)नविवि/नियम /2020 जयपुर दिनांक 04.01.2021 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :-

(i) EWS आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आयु रू. 3,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 6,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iii) MIG-A आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) MIG-B आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 18,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(v) HIG-I/II/III आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 18,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक होगी।

(a) राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों तथा केन्द्रीय विभाग के कर्मचारियों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रू. 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

(b) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रू.6,00,000/- से ज्यादा नहीं होगी।

(c) सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है तथा BSF/CISF/CRPF के सैनिक जिनकी सकल वार्षिक आय रू. 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(e) अधिस्वीकृत पत्रकार के आवेदक की सकल वार्षिक आय रू. 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(f) The Rigths of Persons with Disabilities Act 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49/2016) के तहत निःशक्तजन/दिव्यांगो के आवेदको की सकल वार्षिक आय रू. 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(g) निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रू. 80,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(h) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.07.2020 एवं 04.01.2021 के अनुसार ट्रांसजेण्डर के आवेदक की आवंटन के समय सकल वार्षिक आय रू. 20,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर पूर्ण भूखण्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के, उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जाएगा।

3. राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र /गत माह की पे-स्लिप प्रस्तुत करना होगा।

4. राजस्थान की अनु.जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. दिव्यांगजन (विकलांग) व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

6. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

7. सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.सी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।

8. आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

9. सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

10. सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./केडीए की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे के भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

11. अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

12. सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट-V के प्रारूपानुसार 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

13. सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है) के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा :-

Scanned with CamScanner

(अ) उन सैनिकों (आर्मी, बी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हुई हो।

(ब) विकलांग सैनिक (आर्मी.बी.एस.एफ.सी.आई.एस.एफ एवं सीआरपीएफ)

(स) अन्य सैनिक (आर्मी.बी.एस.एफ.सी.आई.एस.एफ एवं सीआरपीएफ)

उपर्युक्त के लिए सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

1. प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों का आवंटन पत्र जारी किये जाएंगे।

2. पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में चैक/बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के नाम से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंक में एकमुश्त जमा करानी होगी।

3. भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे।

4. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार कोटा होगा।

5. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

6. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण योजना में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

7. आवंटन के संबंध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. सफल आवंटियों को जारी आवंटन पत्र शिविर आयोजित करके उसमें वितरित किये जायेगें अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे। एवं ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

9. सफल आवंटियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट http://udh.rajasthan.gov.in/uitkota पर अपलोड करवाई जायेगी तथा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।

Scanned with CamScanner

आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :-

(1) प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड :- लॉटरी से पूर्व एवं पश्चात् तथा आवंटन सह-मांग-पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जाएगी।

(2) एक परिवार (पति, पत्नि एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा। शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।

असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि की वापसी :-

1. लॉटरी में असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑन लाईन आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी।
2. असफल आवेदकों को पंजीयन राशि का भुगतान नियमानुसार समय अवधि के अर्न्तगत भुगतान कर दिया जावेगा जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस. कोड, बैंक खाता एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाएं जाने में विलम्ब होने पर, प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां डाक/कोरियर का प्रवेश संभव नहीं है, वहां मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक/आवंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए प्राधिकरण/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

आवेदन पत्र अस्वीकार /निरस्त किए जाने के कारण :-

1. लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच की जाएगी, जिसमें गलत तथ्य पाऐं जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
3. आवेदन द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु-प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर।
4. आवेदन पत्र में नियम विरूद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
5. अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
6. संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा।
2. आठ (8) वर्ष का नगरीय कर पूर्ण दर से एकमुश्त जमा करवाने पर 99 वर्ष तक नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्ज़ा :-

लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कब्जा पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय स्थित एकल खिड़की से प्राप्त करेंगे। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । अतिरिक्त भूमि होने पर

Scanned with CamScanner

नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

आवंटी को भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:-

(1) लॉटरी योग्य भूखण्डो की कुल संख्या 222 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में दी जावेगी।

(2) किसी साईज/क्षेत्रफल के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने की स्थिति में उस साईज/क्षेत्रफल के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदको को किया जायेगा तथा किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुल उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में सभी श्रेणियों के प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या कम होने की स्थिति में सभी श्रेणियों के आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

(3) आवेदको के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी, चैक अप्रतिष्ठित होना या आवेदक की गलती से पंजीयन राशि मय प्रक्रिया शुल्क केडीए के निर्धारित खाते में जमा नहीं होने अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

(4) आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी भी तरह कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

(5) आवंटन के संबंध में राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, आदेश/निर्देश लागू होंगे।

(6) किसी भी प्रकार के विभागीय विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण का निर्णय का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार कोटा होगा।

Scanned with CamScanner

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
.... आयु..................निवासी ....
....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग के अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

(2) यह कि मैने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु.जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे, मै प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(4) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/ प्लॉट/मकान मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम)आवंटित नहीं हुआ है।

दिनाकं: हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण पत्र
(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..पुत्र/पत्नि/पुत्री ....जाति.......... आयु..............निवासी .... की स्वयं, पति/पत्नि एवं आश्रित की ....तहसील..........................जिला..........................राज्य........................ सकल वार्षिक आय रू.. प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन (Permanenet Account Number)...... .... है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

आय प्रमाण पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री..............................इस कम्पनी /फर्म में ....पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रू..............................प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणितकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक :

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

आय प्रमाण पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री . ...इस विभाग में ....पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम का नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रू.. प्रतिवर्ष है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :
स्थान :

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-III

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....
..............जिला.................... सम्भाग.................... राज्य.......................... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट-IV

सैनिक /सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....
(रैंक)..............................(नाम)..(नम्बर)..........
....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु/सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रू..............................प्रतिमाह है।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए तथा सेवानिवृति के समय इनकी वार्षिक आय रू.....................................प्रतिवर्ष थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री..............................है। इनकी पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू.............................. प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु ।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु ....
निवासी..
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूं। परिवार के किसी भी सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.............................. ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री..............................

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-VI

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर, सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... करता/करती हूं, कि
आयु .... निवासी..
....शपथ पूर्वक घोषणा

(1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूं।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह है कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नि/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती कुमारी........................ द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावें।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-VII

विशेष योग्य जन प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री........................
पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....
........................की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से विशेष योग्य जन (Specially abled) है।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट-VIII

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री........................
पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....
........................तहसील........................जिला........................
अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner

PROPOSED SCHEME

KEY PLAN

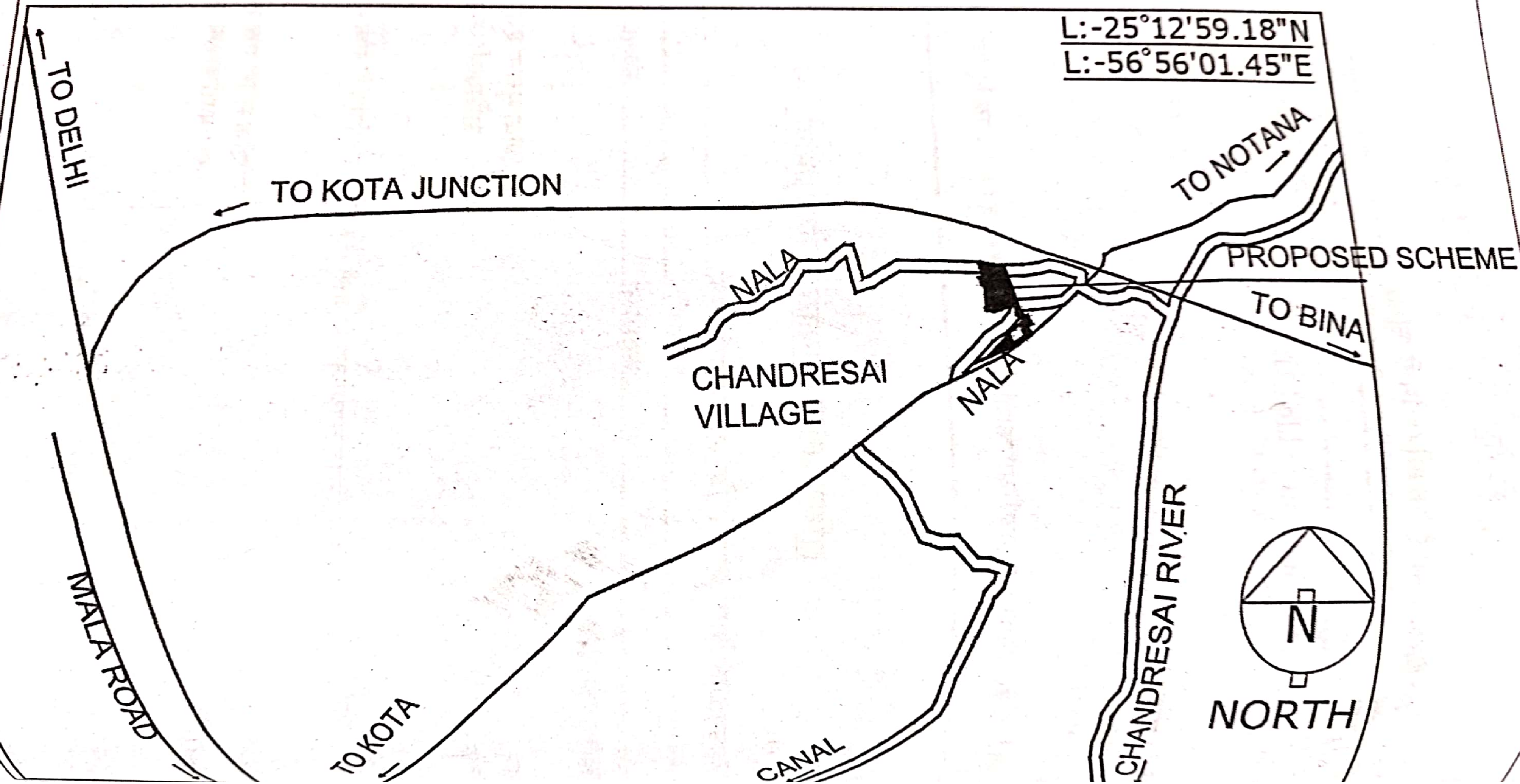

Scanned with CamScanner

किशोर सागर तालाब में स्थित जग मंदिर पैलेस

माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमान् ओम बिरला जी द्वारा शम्भूपुरा ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट नक्शे का अव

सालिम सिंह की हवेली / स्वर्ण महल की प्रतिकृति

स्थान : किशोर सागर पाल,कोटा

रिवर फ्रंट- शौर्य घाट

पश्चिमी छोर का प्रवेश द्वार

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com

KDA Kota Website - https://udh.rajasthan.gov.in/uitkota

मुद्रक : जयदुर्गा प्रिन्टिंग प्रेस मो.9468628483

Scanned with CamScanner